संख्या-108 /2018/1859/41-2018-96 सा0/2014

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 08 जून, 2018

विषय- पर्यटक आवास गृह राधाकुण्ड जनपद मथुरा के उपयोगार्थ उसके सामने उपलब्ध निजी भूमि खसरा सं0 998 मि0 0.135 हे0 में से जुजभाग क्षेत्रफल 0.053 हे0 की भूमि को भू-स्वामी से आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1251/6-1-1(942)2018, दिनांक 25-05-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पर्यटक आवास गृह राधाकुण्ड जनपद मथुरा के सामने निजी भूमि खसरा सं0 998 मि0 0.135 हे0 में से जुजभाग क्षेत्रफल 0.053 हे0 के क्रय/अर्जन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) मथुरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 46,64,000.00 (रूपये छियालीस लाख चौंसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटक आवास गृह राधाकुण्ड जनपद मथुरा के उपयोगार्थ उसके सामने उपलब्ध निजी भूमि खसरा सं0 998 मि0 0.135 हे0 में से जुजभाग क्षेत्रफल 0.053 हे0 को भूमि स्वामी से आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) मथुरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक 16.01.2017 में उक्त भूमि की मूल्यांकित की गयी धनराशि रू0 46,64,000.00 (रूपये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

छियालीस लाख चौंसठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त भूमि का क्रय करने में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की गयी है तथा शासन की अनुमति अनिवार्य रूप से ली गयी है। भूमि क्रय हेतु राजस्व विभाग तथा अन्य संगत नियमों यथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनरव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19 मार्च 2017 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भूमि क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

(2) प्रस्तावित भूमि के क्रय की कार्यवाही जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से संगत नियमों के अनुसार करायी जायेगी।

(3) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि हेतु किसी धनराशि का भुगतान इससे पूर्व न किया गया हो तथा वास्तविक भू-स्वामी को ही इसे भूगतान करते हुए भूमि क्रय करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद में प्राविधानित मद से की जा रही है उसका व्यय उसी प्राविधान के अनुरूप किया जाय तथा उसमें किसी प्रकार का विचलन न हो।

4. उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-पर्यटन आवास गृहों के लिए भूमि की अध्याप्ति-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-108/2018/1859(1)/41-2018-96 सा0/2014 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी मथुरा।
3- सबरजिस्टार मथुरा/पर्यटक अधिकारी, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।